

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।  
पत्रांक— 220 / 14-1, दिनांक, मेरठ 14 सितम्बर, 2015.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन उपयोग वृत्त, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

विषय:— वेद व्यासपुरी योजना में निर्माणाधीन 33/11 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन को उर्जीकृत करने के लिए भूमिगत विद्युत केबिल डालने/बिछाने हेतु रिटानी वन ब्लॉक की 0.022 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक— 261/14-1, दिनांक— 20.07.2015 के द्वारा प्रेषित उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में आपके कार्यालय स्तर से ऑन लाईन कतिपय सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्रस्ताव में संलग्न किये जाने हेतु सूचनाएँ/अभिलेख निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित हैं—

- 1— जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सर्किल रेट की सूची एवं प्रस्तावित वनभूमि का मूल्यांकन 02-02 प्रतियों में संलग्न है।
- 2— प्रस्तावित वनभूमि का प्रीमियम एवं लीज रेंट उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनबद्धता प्रमाण पत्र 02 प्रतियों में संलग्न है।
- 3— 100 पौधों के रोपण एवं अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण योजना वन संरक्षक, मेरठ वृत्त मेरठ महोदय से प्रतिहस्तारित कराकर 02 प्रतियों में संलग्न है।
- 4— मक डिस्पोजल योजना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र 02 प्रतियों में संलग्न है।
- 5— वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का संशोधित प्रमाण पत्र में नाम व सील अंकित कराकर प्रमाण पत्र 02 प्रतियों में संलग्न है।
- 6— प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ द्वारा निर्गत अनापत्ति की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।

संख्या 220 / दिनांकित।

1— प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ को उक्तानुसार सूचनाएँ/अभिलेख की 01-01 प्रतियाँ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

2— प्रतिलिपि योजना प्रभारी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को उनके पत्रांक— 460/यो0प्र0-विद्युत/14-15, दिनांक— 29.04.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Received  
1/11/2015

o c c

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।


100	20.293	19	0.240	0.493	0.746	0.999	1.252	19	0.0120
1000	252.929	20	0.253	0.506	0.759	1.012	1.265	20	0.0126

भूदर सूची  
कार्यालय उप निबन्धक प्रथम, मेरठ सदर, मूल्यांकन दर सूची : वर्ष 2015-16

## कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

उप निबन्धक कार्यालय प्रथम, मेरठ की क्षेत्राधिकारिता के अधीन आने वाली परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 (1) के उपबन्धों के अधीन मूल्यांकन दर-सूची।

प्रभावी दिनांक :- 02.08.2015



ATTES  
Mky  
NOTARY  
10/8/15

उप निबन्धक  
मेरठ-प्रथम।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
मेरठ।

अपर जिलाधिकार (वि०/२:०),  
मेरठ।

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ।

कार्यालय उपनिबन्धक तृतीय, मेरठ सदर, प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची : वर्ष 2015-16


## कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

उप निबन्धक कार्यालय तृतीय, मेरठ की क्षेत्राधिकारिता के अधीन आने वाली परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 (1) के उपबन्धों के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक मूल्यांकन दर-सूची।

प्रभावी दिनांक : 02.08. 2015

  
उपनिबन्धक तृतीय  
मेरठ।


  
सहायक निरीक्षक निबन्धन  
मेरठ।

  
अपर जिलाधिकारी (वि०.रा.)  
मेरठ।

  
कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
01	उप निबन्धक कार्यालय तृतीय, की क्षेत्राधिकारिता के अधीन पड़ने वाले नगरीय, अर्धनगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों का विवरण	
02	रजिस्ट्रीकरण उप जिला सब रजिस्ट्रार तृतीय, जिला मेरठ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में -नगर निगम, मेरठ	
03	रजिस्ट्रीकरण उप जिला सब रजिस्ट्रार तृतीय, जिला मेरठ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में - अर्धनगरीय क्षेत्र	
04	रजिस्ट्रीकरण उप जिला सब रजिस्ट्रार तृतीय, जिला मेरठ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में - ग्रामीण क्षेत्र	
05	उप जिला सब रजिस्ट्रार तृतीय, जिला मेरठ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णानुक्रम में अकृषिक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वेल्यू)	
06	नगरीय एवं अर्धनगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मौहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषिक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की न्यूनतम दरें प्रति वर्गमीटर	
07	सभी प्रकार की अकृषिक दरें तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की न्यूनतम किराया दरें प्रति वर्गमीटर रूपये में तथा कृषिक भूमि की दरें प्रति हैक्टेयर लाख रूपये में, समस्त उप जिलों के अधीन सम्पूर्ण नगरीय अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र	
08	तीन मंजिला तक गैर वाणिज्यिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें	
09	तीन मंजिला से अधिक मंजिल वाले मल्टी स्टोरीज गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की तथा कॉमन फेसिलिटीज हेतु न्यूनतम मूल्य में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत	
10	परिभाषाएं एवं सामान्य निर्देश	
11	उप निबन्धक तृतीय, मेरठ के क्षेत्राधिकार में स्थित ऐसे खसरा नम्बर जिनमें आबादी है	



उपनिबन्धक तृतीय  
मेरठ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि०.रा.)  
मेरठ।

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ।

उपनिब

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3.

ग्र

वि

अ

**प्रथम खण्ड**

**उपनिबन्धक कार्यालय सदर तृतीय, मेरठ की क्षेत्राधिकारिता के अधीन पडने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों का विवरण**

## 1. नगरीय क्षेत्र -

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. अच्छरौंडा                    | 10. बराल परतापुर          |
| 2. औरंगशाहपुर गोलाबंद           | 11. मलियाना               |
| 3. कचनपुर घोपला                 | 12. मोहकमपुर              |
| 4. काशी                         | 13. रामपुर पावटी          |
| 5. कुंडा                        | 14. रिठानी                |
| 6. खडौली                        | 15. लखवाया रसूलपुर        |
| 7. डूंगरावली                    | 16. सुन्दरा उर्फ पूठा     |
| 8. नूर नगर                      | 17. सुंडपुर उर्फ पठानपुरा |
| 9. नंगला शेरखां उर्फ जैनपुर पुर |                           |

## 2. अर्द्धनगरीय -

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. अफजलपुर पावटी         | 14. ढिंडाला                            |
| 2. अंजनीली               | 15. दौलतपुर फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवडी |
| 3. अजमलपुर उर्फ छज्जुपुर | 16. पांचली खुर्द                       |
| 4. अमीनगर उर्फ भूडबराल   | 17. पूठरी                              |
| 5. इकला                  | 18. बहादुर पुर                         |
| 6. उपलेहडा               | 19. बाफर                               |
| 7. कलंजरी                | 20. महरीली                             |
| 8. किठौली                | 21. महीउददीनपुर                        |
| 9. खेडकी मुजक्कीपुर      | 22. मेवला                              |
| 10. घाट                  | 23. सिवाल खास                          |
| 11. जमालपुर मजरा         | 24. सिसौला खुर्द                       |
| 12. जानी खुर्द           | 25. सिसौला बुजुर्ग                     |
| 13. डिमौली               | 26. सोहरका                             |

## 3. ग्रामीण क्षेत्र :-


कार्यालय की क्षेत्राधिकारिता के अधीन आने वाले उपरिवर्णित नगरीय व अर्द्धनगरीय क्षेत्र को छोडकर अन्य सामान्य गांव की सूची :

विशिष्ट गांव :-

काजमाबादगून, कुराली, जानी बुजुर्ग, ढिलौरा उर्फ डालूहेडा, नेक, फेजाबाद-पंचगांव, बहरामपुर मोरना, रसूलपुर धौलडी,

अन्य समस्त गांव :-

अघेडा, अमानुल्लापुर, किशौरी, खजूरी, खानपुर, गेझा, चन्दौरा, चकमोरना, चौबला, जोहरा, टिमकिया, टीकरी, ढडरा, नंगला कुम्भा, नानूफतेहपुर, पस्तरा, बहरामपुर खास, बसाहीकुसी, भवी, भूपगडी, महपा, मनसबगढ, मकरमतपुर भारापुर, मोहम्मदपुर धूम, मीरपुर जखेडा, मुजक्कीपुर, रघुनाथपुर, रावा, लहरा, शौलाना बुजुर्ग, शीपुरा, शाहपुर जैनपुर, सतवाई, सालेह नगर, सीकरी,




उपनिबन्धक तृतीय  
मेरठ।

सहायक महासूचीक्षक निबन्धन  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि०.रा.)  
मेरठ।

कलैक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ।

260	0349	सागा हैबिटेट कालोनी (खडौली)	10000	10500	11500	240		
261	0351	साई एन्कलेव (सुन्द्रा उर्फ पूठा)	6500	6825	7475	100		
262	0352	सूर्य नगर/ न्यू सूर्य नगर (लखवाया रसूलपुर)	6500	6825	7475	100		
263	0340	एस0एम0 कॉलोनी (निकट नूर नगर)	7000	7350	8050	105		
264	0371	साथक सिटी रामपुर पावटी	11000	11550	12650	100		
265		सोलजर एन्कलेव खडौली	17000	17850	19550	160		
266		सनसिटी लखवाया रसूल पुर	6000	6300	6900	90		
267		सूर्या कुंज लखवाया रसूल पुर	6000	6300	6900	90		
268		सुशान्त विहार डुंगरावली	6000	6300	6900	90		
		→ ह						
269	0009	हरी नगर (निकट भूमिया का पुल)	11000	11550	12650	110		
270	0005	होराम नगर (निकट भूमिया पुल)	7500	7875	8625	100		
271	0315	हैफटी इन्डस्ट्रीयल पार्क (मोहकमपुर)	6500	6825	7475	100		
272	0316	हरदेव नगर (मलियाना)	6500	6825	7475	110		
273	0317	हरदेव नगर (औरंगशाहपुर गोलाबद)	6500	6825	7475	110		
274		हरमन सिटी	9500	10000	10500	140		
275		हाफिजाबाद मेवला	11000	12600	13800	160		



ATTESTED

NOTARY

उपनिबन्धक तृतीय  
मेरठ।

सहायक उपनिबन्धक तृतीय  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि.रा.)  
मेरठ।

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ।

## नगर निगम के गांव

प्रारूप - 2				प्रारूप - 4				
क्रम सं०	सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	अकृषिक भूमि की 9 मी० से कम चौड़े रास्ते के लिए दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में	9 मी० या उससे अधिक 18 मी० तक चौड़े रास्ते पर दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में	18 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में	वाणिज्यिक सम्पत्ति का किराया की दरें प्रति वर्ग मीटर रुपये में	राजस्व ग्रामों में कृषिक मूल्यांकन दरें प्रति हैक्टेयर लाख रुपये में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	1003	अच्छरौंडा	4500	4725	5175	100	220	30
261	1004	औरंगशाहपुर गोलाबद	6000	6300	6900	100	280	40
262	1007	कचनपुर घोपला	4000	4200	4600	95	175	25
263	1008	काशी	4500	4725	5175	100	175	25
264	1010	कुंडा	5000	5250	5750	100	215	30
265	1009	खडौली	6000	6300	6900	100	290	40
266	1006	डूंगरावली	5000	5250	5750	100	245	30
267	1014	नूर नगर	6000	6300	6900	100	265	35
268	1019	नंगला शेरखां उर्फ जैनपुर	5000	5250	5750	95	195	25
269	1005	बराल परतापुर	5500	5775	6325	105	270	35
270	1012	मलियाना	6000	6300	6900	100	290	40
271	1013	मोहकमपुर	5500	5775	6325	100	245	30
272	1015	रामपुर पावटी	5500	5775	6325	100	270	35
273	1016	रिठानी	6500	6825	7475	100	335	45
274	1011	लखवाया रसूलपुर	5500	5775	6325	100	245	30
275	1017	सुन्दरा उर्फ पूठा	5500	5775	6325	100	145	20
276	1018	सुंडपुर उर्फ पठानपुरा	5000	5250	5750	100	175	25



ATTESTED  
only  
NOTARY

प्रमाणित किया जाता है कि कस्बा मेरठ के किसी भी खसरा नम्बर में कृषि नहीं हो रही है।  
उपयोग आवासीय गतिविधि के रूप में हो रहा है। यहां की न्यूनतम आवासीय दर 7000/  
वर्गमीटर रखा जाना उचित है।

उपनिबन्धक तृतीय  
मेरठ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि० रा.)  
मेरठ।

कलेक्टर/जिला  
मेरठ।

क्रम सं०	सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2
277	100
278	100
279	100
280	100
281	100
282	100
283	100
284	100
285	100
286	100
287	100
288	100
289	100
290	100

## अर्धनगरीय ग्राम (विकास प्राधिकरण की सीमा के गांव)

आबादी से सटी	प्रारूप - 2				प्रारूप - 4				
	कम से 10	सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	अकृषिक भूमि की 9 मी0 से कम चौड़े रास्ते के लिए दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में	9 मी0 या उससे अधिक 18 मी0 तक चौड़े रास्ते पर दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में	18 मी0 से अधिक चौड़े रास्ते पर दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में	वाणिज्यिक सम्पत्ति का किराया की दरें प्रति वर्ग मीटर रुपये में	राजस्व ग्रामों में कृषिक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर लाख रुपये में	आबादी से सटी हुयी भूमि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	1020	अफजलपुर पावटी	2200	2310	2530	95	75	105	
278	1033	अंजनीली	2200	2310	2530	95	75	105	
279	1037	अजमलपुर उर्फ छज्जपुर	2200	2310	2530	95	75	105	
280	1039	अमीनगर उर्फ भूडबराल	4500	4725	5175	95	170	220	
281	1040	इकला	2200	2310	2530	95	75	105	
282	1038	उपलेहडा	2200	2310	2530	95	80	105	
283	1030	कलंजरी	2200	2310	2530	95	80	115	
284	1025	किठौली	2200	2310	2530	95	95	130	
285	1024	खेडकी मुजक्कीपुर	2200	2310	2530	95	75	105	
286	1035	घाट	4500	4725	5175	95	180	235	
287	1021	जमालपुर मजरा	2300	2415	2645	95	80	105	
288	1026	जानी खुर्द	3500	3675	4025	95	120	166	
289	1056	डिमौली	2300	2415	2645	95	80	115	
290	1031	ढिंडाला	2300	2415	2645	95	80	115	



उपनिबन्धक तृतीय  
मेरठ।

सहायक महानिबन्धक  
मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (वि०.रा.)  
मेरठ।

कलेक्टर/जिलाधिकारी  
मेरठ।

भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने के लिये रिठानी वन ब्लॉक की प्रस्तावित  
0.022 हे० आरक्षित वनभूमि का मूल्यांकन प्रमाण पत्र

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के०वी० के उपकेन्द्र से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्माणाधीन आई०टी० पार्क में 33/11 के०वी० के उपकेन्द्र के उर्जीकृत हेतु भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने के लिये रिठानी वन ब्लॉक की प्रस्तावित 0.022 हे० आरक्षित वनभूमि का मूल्यांकन निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	स्थल का नाम	वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० (रु० लाख में)	धनराशि (रु० में)
1	रिठानी वन ब्लॉक के खसरा न० 241, 275, 276, 281 व 1089 की आरक्षित वनभूमि	0.022	335	737000.00
योग-				7,37,000.00

(रु०- सात लाख सैंतीस हजार मात्र)

JE AE X.P. S.E. C.E.

02-9-15  
सचिव,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।  
मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।

प्रस्तावित वनभूमि का प्रीमियम एवं लीजरेन्ट उपलब्ध कराने / भुगतान  
करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0 के उपकेन्द्र से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्माणाधीन आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र के उर्जीकृत हेतु भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने के लिये रिठानी वन ब्लाक की 0.022 हे0 आरक्षित वनभूमि का प्रीमियम एवं लीजरेन्ट की धनराशि का नियमानुसार भुगतान मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।


  
J.E.

  
A.E.



S.E.

  
C.E.

  
2.9.15  
सचिव,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ। सचिव  
मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0ए0 के स्टेशन से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्मित आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र हेतु भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने से सम्बन्धित प्रकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना/प्राक्कलन


स्थल- रिठानी वन ब्लाक  
क्षेत्रफल- 0.16 है0

भूमि- ऊसर

अग्रिम मूदा कार्य- प्रथम चरण					
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	7	8
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण व सीमांकन	0.16	है0	68.00	10.88
2	स्थल सफाई करना	0.16	है0	568.00	90.88
3	गड्डों का रेखांकन कार्य	100	संख्या	0.15	15.00
4	गड्डों का खुदान- साईज 0.45x0.45x0.45 मी0 के गड्डे में अर्ध ऑंगर से 0.15 मी0 व्यास का 0.80 मी गहरा (किराये के ट्रेक्टर से)	100	संख्या	12.50	1250.00
5	सुरक्षा खाई का रेखांकन	200	मीटर	0.23	46.00
6	सुरक्षा खाई खुदान साईज (1.20x1.00x0.90) मी0	200	मीटर	34.10	6820.00
7	जिप्सम का मूल्य	0.16	है0	16000.00	2560.00
8	मैली का मूल्य	0.16	है0	6000.00	960.00
9	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		2000.00
योग-					13752.76
या					13800.00
वृक्षारोपण कार्य- द्वितीय चरण					
1	गोबअ खाद का मूल्य	100	संख्या	5.00	500.00
2	गड्डा भरान कार्य	100	संख्या	1.14	114.00
3	सुरक्षा खाई की ड्रेसिंग एवं उक्त पर 2 लाईनों में बबूल का बीज बुआन	160	मीटर	4.85	776.00
4	बीज का मूल्य		L.S.		700.00
5	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	103	संख्या	50.00	5150.00
6	थैली पौध दुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त) 0 किमी0 से 10 किमी0	103	संख्या	2.95	303.85
7	पौधों का स्थानीय दुलान	103	संख्या	1.15	118.45
8	पौधों की निराई गुड़ाई 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
9	सुरक्षा खाई की निराई गुड़ाई 2 बार	200	मीटर	0.85	340.00
10	पौधों की सिंचाई मार्च 15 तक 5 बार	100	संख्या	0.74	370.00
11	अग्नि से सुरक्षा हेतु घास सफाई	0.16	है0	2500.00	400.00
12	रासायनिक उर्वरक/कीटनाशक प्रयोग 1 बार		L.S.		150.00
13	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		2000.00
योग-					10478.30
या					14500.00

क्रमशः - 2 पर -

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
मेरठ

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मेरठ

(2)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0ए0 के स्टेशन से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्मित आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र हेतु भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने से सम्बन्धित प्रकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना/प्राक्कलन

स्थल- रिठानी वन ब्लाक  
क्षेत्रफल- 0.16 है0

भूमि- ऊसर

प्रथम अनुरक्षण कार्य- तृतीय चरण					
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा/ संख्या	इकाई	दर	धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	7	8
1	20 प्रतिशत बीटिंग अप हेतु मिट्टी ढीली करना	20	संख्या	2.84	56.80
2	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	21	संख्या	50.00	1050.00
3	थैली पौध दुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त) 0 किमी0 से 10 किमी0	21	संख्या	2.95	61.95
4	पौधों का स्थानीय दुलान	21	संख्या	1.15	24.15
5	थैली पौध रोपण मय थावला बन्दी व तुरन्त सिंचाई, कीटनाशक प्रयोग	20	संख्या	3.40	68.00
6	पौधों की सिंचाई 8 बार	100	संख्या	0.74	592.00
7	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100	संख्या	0.85	255.00
8	पौधों की थावला बन्दी 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
9	सुरक्षा खाई की निराई गुड़ाई 1 बार	200	मीटर	0.85	170.00
10	सुरक्षा खाई की मरम्मत	200	मीटर	6.80	1360.00
11	अग्नि से सुरक्षा हेतु घास सफाई	0.16	है0	2500.00	400.00
12	रासायनिक उर्वरक का प्रयोग 1 बार		L.S.		150.00
13	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		1700.00
योग					6057.90
या					6100.00
द्वितीय अनुरक्षण कार्य- चतुर्थ चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	100	संख्या	0.74	592.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100	संख्या	0.85	255.00
3	पौधों की थावला बन्दी 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
4	सुरक्षा खाई की निराई गुड़ाई 1 बार	200	मीटर	0.85	170.00
5	अग्नि से सुरक्षा हेतु घास सफाई	0.16	है0	2500.00	400.00
6	रासायनिक उर्वरक का प्रयोग 1 बार		L.S.		150.00
7	सुरक्षा खाई की मरम्मत	200	मीटर	6.80	1360.00
9	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		1100.00
योग					4197.00
या					4200.00
तृतीय अनुरक्षण कार्य- पंचम चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	100	संख्या	0.74	592.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100	संख्या	0.85	255.00
3	पौधों की थावला बन्दी 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
4	पौधों की प्रूनिंग कार्य	100	संख्या	2.55	255.00
5	अग्नि सुरक्षा हेतु घास सफाई कार्य 1 बार	0.16	है0	2500.00	400.00
6	सुरक्षा खाई की मरम्मत	200	मीटर	6.80	1360.00
7	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		1100.00
योग					4132.00
या					4100.00

क्रमशः - 3 पर -

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
मेरठ  
d/joshi/copy of abh/95

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मेरठ

(3)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0ए0 के स्टेशन से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्मित आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र हेतु भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने से सम्बन्धित प्रकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना/प्राक्कलन

स्थल- रिठानी वन ब्लाक  
क्षेत्रफल- 0.16 है0

भूमि- ऊसर

चतुर्थ अनुरक्षण कार्य- षष्ठम् चरण					
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा/ संख्या	इकाई	दर	धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	7	8
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	100	संख्या	0.74	592.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100	मीटर	0.85	255.00
3	पौधों की थावला बन्दी 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
4	पौधों की प्रूनिंग कार्य	100	संख्या	2.55	255.00
5	अग्नि सुरक्षा हेतु घास सफाई कार्य 1 बार	0.16	है0	2500.00	400.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		1100.00
<b>योग</b>					<b>2772.00</b>
<b>या</b>					<b>2800.00</b>
पंचम् अनुरक्षण कार्य- सप्तम् चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	100	संख्या	0.74	592.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100	मीटर	0.85	255.00
3	पौधों की थावला बन्दी 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
4	पौधों की प्रूनिंग कार्य	100	संख्या	2.55	255.00
5	अग्नि सुरक्षा हेतु घास सफाई कार्य 1 बार	0.16	है0	2500.00	400.00
7	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		1100.00
<b>योग</b>					<b>2772.00</b>
<b>या</b>					<b>2800.00</b>
षष्ठम् अनुरक्षण कार्य- अष्टम् चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	100	संख्या	0.74	592.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100	मीटर	0.85	255.00
3	पौधों की थावला बन्दी 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
4	पौधों की प्रूनिंग कार्य	100	संख्या	2.55	255.00
5	अग्नि सुरक्षा हेतु घास सफाई कार्य 1 बार	0.16	है0	2500.00	400.00
7	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		1100.00
<b>योग</b>					<b>2772.00</b>
<b>या</b>					<b>2800.00</b>
सप्तम् अनुरक्षण कार्य- नवम् चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	100	संख्या	0.74	592.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100	मीटर	0.85	255.00
3	पौधों की थावला बन्दी 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
4	अग्नि सुरक्षा हेतु घास सफाई कार्य 1 बार	0.16	है0	2500.00	400.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		1100.00
<b>योग</b>					<b>2517.00</b>
<b>या</b>					<b>2500.00</b>

क्रमशः - 4 पर -

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
मेरठ रेंज, मेरठ

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मेरठ

(4)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0ए0 के स्टेशन से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्मित आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र हेतु भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने से सम्बन्धित प्रकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना / प्राक्कलन


स्थल- रिठानी वन ब्लाक

भूमि- ऊसर

क्षेत्रफल- 0.16 है0


अष्टम् अनुरक्षण कार्य- दसम् चरण					
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	100	संख्या	0.74	592.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100	मीटर	0.85	255.00
3	पौधों की थावला बन्दी 2 बार	100	संख्या	0.85	170.00
4	अग्नि सुरक्षा हेतु घास सफाई कार्य 1 बार	0.16	है0	2500.00	400.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय		L.S.		1100.00
योग					<b>2517.00</b>
या					<b>2500.00</b>
सारांश					
क्र0 सं0	चरण	धनराशि (रू0 में)	10 प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत	कुल धनराशि (रू0 में)	
1	प्रथम चरण	13800.00	1.10	15180.00	
2	द्वितीय चरण	14500.00	1.21	17545.00	
3	तृतीय चरण	6100.00	1.33	8113.00	
4	चतुर्थ चरण	4200.00	1.46	6132.00	
5	पंचम चरण	4100.00	1.61	6601.00	
6	षष्ठम् चरण	2800.00	1.77	4956.00	
7	सप्तम चरण	2800.00	1.95	5460.00	
8	अष्टम् चरण	2800.00	2.15	6020.00	
9	नवम् चरण	2500.00	2.37	5925.00	
10	दसम् चरण	2500.00	2.61	6525.00	
योग		<b>56100.00</b>	-	<b>82457.00</b>	

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
मेरठ रेंज, मेरठ

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मेरठ

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।

प्रति हस्ताक्षरित

  
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र  
मेरठ।

## मक डिस्पोजल योजना

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0 के उपकेन्द्र से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्माणाधीन आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र के उर्जीकृत हेतु रिटानी वन ब्लाक की 0.022 हे0 आरक्षित वनभूमि भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने के लिये ट्रेन्च के खुदांन से निकली मिट्टी को केबिल डालने/बिछाने के उपरान्त पुनः उसी स्थान पर भर दिया जायेगा। इस कार्य के दौरान कोई मक (मलवा) नहीं होगा।


अतः मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं है।


  
JE.

  
A.E.

  
Y.P.

  
S.E. , C.E.

  
02.9.15  
सं.सचिव,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ। सचिव  
मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ



प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।

**FORM- I**

**(for linear projects)**

**Government of Uttar Pradesh**

**Office of the District Collector Meerut (U.P.)**

No...1062/14-1 (सामाजिक) - आई टी पार्क<sup>\*\*\*</sup>

Date...02-09-2015

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter. No-11-9/98-FC (pt.) Dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's latter dated 5<sup>th</sup> february 2013 wherein MoEF's issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.022** hectares of forest land proposed to be diverted for linear projects, in favour of **Meerut Development Authority, Meerut** (name of user agency) **Laying of under Ground 33 KV Cable line in Rithani Forest Block Khasra No. 241, 275, 276, 281 and 1089, Area 0.022 hectares For enegization of 33/11 KV Substation (Under Construction) I.T. Park in Vedvyaspuri Housing Scheme, Developed** (for diversion of forest land) in Meerut district falls within jurisdiction of **Municipal Corporation, Meerut.**

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.022** hectares of forest land proposed for diversions. A copy of record of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), is **not needed because there are no Forest Dwellers eligible under the FRA 2006 inhabiting the area under the project.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section-3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. - **N. A.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. - **N. A.**

**Signature**



**(Pankaj Yadav)  
District Collector  
Meerut.**

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट  
मेरठ

# कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

पत्रांक : 934 / 110 100 110 110  
प्रेषक,

दिनांक 24-8-15

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, मेरठ।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मेरठ।

विषय :-

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132के0पी0 के उपकेन्द्र से वेदव्यासपुरी आवासीय कालोनी में निर्माणाधीन आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र के उर्जीकृत हेतु भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने के लिये रिठानी वन ब्लाक की 0.022 है0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के वन(संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन विभाग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 645/14-1 दिनांक मेरठ 10 अगस्त, 2015 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिठानी वन ब्लाक की 0.022 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर नगर निगम का प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आता है किन्तु उपरोक्त भूमि वन विभाग की आरक्षित भूमि है यदि सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ अपनी आरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति देता है तो नगर निगम मेरठ को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

24/08/2015  
मुख्य अभियन्ता,  
नगर निगम, मेरठ।

प्रतिलिपि :-

- 1 नगर आयुक्त महोदय को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 योजना प्रभारी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

हाथों से प्रमाणित  
प्रशासनिक अधिकारी  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मेरठ

मुख्य अभियन्ता,  
नगर निगम, मेरठ।